न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39 / 2024	23.4.2024	17.10.2025

लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) तहसील गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. अशोक पुत्र चिरंजी, बैरवा निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. महीलाल पुत्र सोमोत्या, बैरवा निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
3. रामखिलाडी पुत्र सोमोत्या, बैरवा निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
4. रामफूल पुत्र सोमोत्या, बैरवा निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
5. उप पंजीयक गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—प्रतिनिधि, लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम डिवस्या स्थित भूमि ख0नं0 1716 रकबा 0.80 है0 अशोक पुत्र चिरंजी हिस्सा 1/4, महीलाल पुत्र सोमोत्या हिस्सा 124, रामखिलाडी पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4, रामफूल पुत्र सोमोत्या हिस्सा 1/4 जाति बैरवा के नाम खातेदारी में दर्ज है। पटवारी हलका की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण ने बिना किसी सक्षम स्वीकृति के, बिना कोई भू—परिवर्तन कराए कृषि से भिन्न कार्य में उपयोग लिया है जो अवैधानिक है। एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के विपरीत होने के कारण भूमि को सिवायचक घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया है जिसमें कामयाब होने की पूरी संभावना है। प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्य से राज्य सरकार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:19:07 IST
Reason: SelfAttested

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने मौके पर विवादित भूमि का मौखिक विभाजन कर रखा है । इसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिस्से 1/4 की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है बल्कि दूसरे लोगों से पैसे उधार लेकर अपने हिस्से की भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया है। अन्य भूमि में कोई निर्माण नहीं किया है। भूमि सुधार हेतु अप्रार्थी को किसी भी न्यायालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 5(19) के तहत भूमि सुधार बिना अनुमति किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने मौके पर विवादित भूमि का मौखिक विभाजन कर रखा है । इसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिस्से 1/4 की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है बल्कि दूसरे लोगों से पैसे उधार लेकर अपने हिस्से की भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया है। अन्य भूमि में कोई निर्माण नहीं किया है। भूमि सुधार हेतु अप्रार्थी को किसी भी न्यायालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 5(19) के तहत भूमि सुधार बिना अनुमति किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने मौके पर विवादित भूमि का मौखिक विभाजन कर रखा है । इसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिस्से 1/4 की भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया है बल्कि दूसरे लोगों से पैसे उधार लेकर अपने हिस्से की भूमि में फसल की सुरक्षा हेतु चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया है। अन्य भूमि में कोई निर्माण नहीं किया है। भूमि सुधार हेतु अप्रार्थी को किसी भी न्यायालय से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:19:07 IST
Reason: Self Attested

अधिकारी

क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 5(19) के तहत भूमि सुधार बिना अनुमति किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 383 एवं रिपोर्ट पटवारी हलका खानपुरबडौदा प्रस्तुत किए हैं।

जबाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ने जबाब के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के प्रतिनिधि ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है एवं अप्रार्थीगण खातेदारान द्वारा वादग्रस्त भूमि को बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि कार्य के बजाय अकृषि प्रयोजन में परिवर्तित किया जा रहा है जो कानूनन वैद्य नहीं है एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निर्णय होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के विद्वान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप करते हुए कहा कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 के नाम सहखातेदारी में दर्ज है परन्तु चारो ही अप्रार्थीगण ने अपने अपने 1/4, 1/4 हिस्से को मौके पर मौखिक रूप से बांट रखा है तथा सभी अप्रार्थीगण ने अपनी अपनी फसल की सुरक्षा हेतु अपने अपने हिस्से की भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया है जिसका अधिकार उन्हें टीनेन्सी एक्ट की धारा 5(19) के तहत प्राप्त है। अप्रार्थीगण ने इसके अलावा अन्य कोई निर्माण नहीं किया है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी वर्ष 2070 से 2073 ग्राम डिवस्या के अनुसार ग्राम डिवस्या स्थित भूमि ख0न0 1716 रकबा 0.80 है0 अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:19:07 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
सिटी (राज0)

की खातेदारी में दर्ज है। इस भूमि में अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रथम दृष्टया संतोषप्रद है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वापिस लिया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 23.4.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश बावत् ख0नं0 1716 रकबा 0.80 है0 ग्राम डिवस्या वापिस ली जाती है एवं अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक इस प्रकार पाबंद किया जाता है कि वे सक्षम स्वीकृति के बिना भूमि ख0नं0 1716 रकबा 0.80 है0 ग्राम डिवस्या में स्वयं के नाम दर्ज 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि में कोई निर्माण नहीं करें।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.03 17:19:07 IST
Reason: SelfAttested